संख्या: 1082/XXIV-3/10/01(22)/2010

प्रेषक,

पी0एल0शाह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक 28 जून, 2010

विषय: आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता द दून ध्रुव पब्लिक स्कूल, माण्डूवाला, सुद्धोवाला (कोटरी) चकराता रोड़, देहरादून का नाम ल्यूसैन्ट इण्टरनेशनल स्कूल माण्डूवाला, कोटरी सुद्धोवाला वाया प्रेमनगर, देहरादून किये जाने एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 955(1)/माध्यमिक/ 2003, दिनांक: 31 दिसम्बर, 2003 के द्वारा 'द दून ध्रुव पब्लिक स्कूल, माण्डूवाला, सुद्धोवाला (कोटरी) चकराता रोड़, देहरादून' को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0) बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'द दून ध्रुव पब्लिक स्कूल, माण्डूवाला, सुद्धोवाला (कोटरी) चकराता रोड़, देहरादून' का नाम ''ल्यूसैन्ट इण्टरनेशनल स्कूल माण्डूवाला, कोटरी सुद्धोवाला वाया प्रेमनगर, देहरादून'' निम्नांकित शर्तो के अधीन परिवर्तित किये जाने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

2. संदर्भगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ''ल्यूसैन्ट इण्टरनेशनल स्कूल माण्डूवाला, कोटरी सुद्धोवाला वाया प्रेमनगर, देहरादून'' को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिंल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

Attested
(राकेश सिंह महर)
अनुभाग अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा अनु0–3
उत्तराखण्ड शासन

क्रमशः......2

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

संख्या: 1082 (1)/XXIV-3/10/01(22)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. सचिव, कौउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल,सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन,प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47–48 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 955/माध्यमिक/2003, दिनांक: 31 दिसम्बर, 2003 के क्रम में।
4. अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, ल्यूसैन्ट इण्टरनेशनल स्कूल माण्डूवाला, कोटरी सुद्धोवाला वाया प्रेमनगर, जनपद देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

Attested

(राकेश सिंह महर)
अनुभाग अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा अनु0–3
उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।